भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1246
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायनों की मांग और उत्पादन क्षमता में वृद्धि

1246. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 के अंत तक भारतीय रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के वास्तविक बाजार आकार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2025 तक की अवधि के दौरान मांग और उत्पादन क्षमता में पूर्व अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई हैं;

(घ) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो निवेश, अवसंरचना, नीति क्रियान्वयन अथवा वैश्विक बाजार परिस्थितियों से संबंधित बाधाओं सहित इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनाए जा रहे रोडमैप तथा नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वर्षों के लिए किए गए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार रसायनों और पेट्रोरसायनों के उत्पादन का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है।

रसायन एवं पेट्रोरसायन का उत्पादन (करोड़ रुपये में)					
वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल उत्पादन	11,99,309	11,91,354	16,03,219	19,32,057	18,71,943

रसायन क्षेत्र को तीन प्रकार के खतरनाक रसायनों को छोड़कर व्यापक रूप से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। यह क्षेत्र विकास और विविधीकरण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह कृषि, उर्वरक,

औषध, पौष्टिक-औषध, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुएं, निर्माण क्षेत्र आदि जैसे कई उद्योगों को भी आपूर्ति करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र (उर्वरकों को छोड़कर) में उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों दोनों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलता है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक, रसायन क्षेत्र में संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का कुल इक्विटी प्रवाह 1,47,453.93 करोड़ रुपये है, जो देश में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 3.11% है। पिछले पांच वर्षों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	**रसायन (उर्वरकों के अलावा) क्षेत्र से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और इक्विटी प्रवाह**	
	(करोड़ रुपये में)	**(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)**
(1)	**(2)**	**(3)**
2020-21	6,300.21	847.07
2021-22	7,202.22	965.78
2022-23	14,662.04	1,850.01
2023-24	6,985.32	843.97
2024-25	8,943.45	1,060.56
2025-26 (सितंबर 2025 तक)	4,598.19	534.12

इसके अलावा, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग इस क्षेत्र को समर्थन देने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। ये उपाय इस प्रकार हैं:

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर): रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, विभाग ने पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर को साझी अवसंरचना और सहायक सेवाओं के साथ विकास के क्लस्टर-आधारित मॉडल के रूप में परिकल्पित किया गया है। दाहेज (गुजरात), विशाखापत्तनम-काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) में तीन पीसीपीआईआर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, इन पीसीपीआईआर में 2,246 रासायनिक इकाइयां कार्यशील हैं, जिनमें कुल 3,49,192 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और इन क्षेत्रों में 3.7 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है।

प्लास्टिक पार्क: विभाग नई पेट्रोरसायन योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना का कार्यान्वयन करता है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना और सहायक साझा सुविधाओं से युक्त, जरूरत के हिसाब से प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण

उद्योग की क्षमताओं को मजबूत और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हो सके और रोजगार सृजित हो सके। इस योजना के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत का 50% तक अनुदान राज्य सरकार को प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब तक 9 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुक्त व्यापार समझौत: इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में सरकार ने विभिन्न देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ कई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) एवं अन्य मुक्त व्यापार समझौते पर परस्पर बातचीत की है ताकि इस क्षेत्र को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक एकीकृत किया जा सके। इन देशों/क्षेत्रीय समूहों में ओमान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

अवसंरचना से संबंधित इन पहलों के अतिरिक्त, विभाग ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित पहलें भी की हैं।

उत्कृष्टता केंद्र: रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है ताकि वे मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार कर पॉलिमर और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा दे सकें। योजना का मुख्य ज़ोर मौजूदा उत्पादन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर है। इस योजना के तहत, भारत सरकार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है। अब तक, इस योजना के तहत 18 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। पहले, उत्कृष्टता केंद्र योजना केवल पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए उपलब्ध थी। अब, संशोधित योजना में रसायन क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

सिपेट के माध्यम से कौशल विकास और मानव संसाधन विकास: केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत एक तकनीकी शिक्षा संस्थान है, जो देश में पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। सिपेट के देशभर में 48 केंद्र हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, सिपेट ने 75,763 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया और वर्ष 2025-26 (15.01.2026 तक) के दौरान 46,381 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

*****